न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2009/पुनर्विलोकन

1- जनवेद पुत्र खंगेरा
2- किम्ती पुत्री खंगेरा
3- हक्की पुत्री खंगेरा,
निवासीगण ग्राम खोरधार, तहसील व
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- -- आवेदकगण

विरुद्ध

1- गिरधर |
2- शंकरदे | पुत्रगण श्री हरुआ
3- धना |
सभी निवासीगण ग्राम खोरधार, तहसील व
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- -- अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों का पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

(1) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1- यह कि, ग्राम खोरधार के भूमि सर्वे क्रमांक 492, 493, 494, 495, 434, 600, 952, 1490, 1507 कुल किता 9 कुल रकबा 3.35 हैक्टेयर के आधे-आधे भाग के आवेदकगण एवं अनावेदकगण भूमिस्वामी थे ।

2- यह कि, विवादित भू-भाग का बंटवारा हेतु एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 5/03-04/अ-27 प्रस्तुत किया । जिसमें उभयपक्ष को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक रिव्यू 227–दो/2009 जिला शिवपुरी

जनवेद आदि विरूद्ध गिरवर आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22–3–2016 | आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है। प्रकरण में अपर आयुक्त का अभिलेख प्राप्त हो गया है। प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 गिरवर की फोत होने संबंधी टीप आदेश पत्रिका दिनांक 26–2–13 में आ चुकी है तत्पश्चात दिनांक 24–9–13 को इस न्यायालय द्वारा आवेदक अभिभाषक को अनावेदक कमांक 1 के वारिसों की जानकारी पेश करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 की मृत्यु की जानकारी के लगभग तीन वर्ष पश्चात भी आवेदक अभिभाषक ने प्रकरण में वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। अतः अनावेदक कमांक 1 के वारिसों की जानकारी तीन वर्ष तक प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण अवैट किया जाता है। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br><br>(डॉ0 मधु खरे)<br>सदस्य | |